बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः- 276301 पटना, दिनांकः- 24/06/16

ग्रा0वि0-5/ई0आ0यो0(II वि0अभि0)102-14/2012

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2015-16 के पूर्व के इंदिरा आवास के लाभार्थियों को देय द्वितीय/अग्रेतर किश्त की राशि का हस्तांतरण e-FMS के माध्यम से करने के संबंध मे ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया जा चुका है कि 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण आवास कार्यक्रम अर्थात इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन से संबंधित निधि का प्रवाह आवास सॉफ्ट के माध्यम से ही किया जाना है । वित्तीय वर्ष 2015-16 से इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान e-FMS के द्वारा FTO के माध्यम से लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त की सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है ।

इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 के पूर्व के सभी लाभार्थियों को द्वितीय किस्त की सहायता राशि राशि का भुगतान भी e-FMS के माध्यम से करने का प्रावधान आवास साफ्ट पर उपलब्ध करा दिया गया है । पूर्व के सभी लाभार्थियों को द्वितीय/अग्रेतर किस्त की सहायता राशि का भुगतान की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2015-16 के लाभार्थियों को e-FMS के माध्यम से की जा रही भुगतान की क्रियाविधि के समान ही होगी । NIC के द्वारा आवास सॉफ्ट पर किये गये प्रावधान निम्नवत है :-

1) वैसे सभी लाभार्थी जिन्हे वित्तीय वर्ष 2015-16 से पूर्व प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया गया है, का बैंक खाता विवरण(जिसे प्रथम किस्त भुगतान हेतु Order Sheet मे दर्शाया गया है) आवास साफ्ट पर NIC द्वारा freeze एवं Verify (pfms द्वारा) किया जा चुका है । वैसे लाभार्थी जिनके खाते Verify नही हुए है, को पुनः Block Login से Edit करते हुए Freeze किया जायगा ।

2) सभी लाभार्थी का Inspection निर्धारित स्तर (Lintel Level/Roof Cast/Completion) पर किया जायगा ।

3) लाभार्थियों के Inspection के पश्चात उनका Order Sheet Generate किया जाएगा ।

4) Order Sheet Generate करने के पश्चात इसका FTO Generate किया जाएगा जिस पर लेखा सहायक अपने (1st Signatory) Digital signature से sign करेंगे ।

5) इस FTO को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी(2nd Signatory)अपने Digital signature से sign करेंगे जिसके पश्चात FTO भुगतान हेतु बैंक को चला जाएगा ।

अतएव वित्तीय वर्ष 2016-17 से किसी भी परिस्थिति मे इंदिरा आवास के पूर्व के लाभुकों को भी देय द्वितीय/अग्रेतर किश्त की सहायता राशि का भुगतान नगद/चेक/RTGS के माध्यम से नहीं किया जायेगा । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा द्वितीय/अग्रेतर किश्त से संबंधित भुगतान FTO के माध्यम से करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायगा कि लाभार्थी को पूर्व में यह भुगतान नगद/चेक/RTGS के माध्यम नहीं किया गया है । दुबारा भुगतान के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।

अनुरोध है वित्तीय वर्ष 2015-16 के पूर्व के सभी लाभार्थियों को उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार ही देय द्वितीय/अग्रेतर किश्त की सहायता राशि का भुगतान e-FMS के माध्यम से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन

23/6/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 276301 पटना, दिनांक:- 24/06/16

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/6/2016

सरकार के सचिव

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1523.doc